रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1159] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2009/श्रावण 2, 1931
No. 1159] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2009/SRAVANA 2, 1931

कृषि मंत्रालय
(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2009

का.आ. 1825(अ).—पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) की धारा 3ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, भारत में कच्ची, नमक लगी, आचार बनी, चूना लगी तथा सूखी त्वचा और खाल के आयात को विनियमित करने के लिए पशुचिकित्सा प्रमाण-पत्र को अधिसूचित करती है जैसा कि निम्नलिखित शर्तों के साथ अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में निर्धारित किया गया है, नामत: :—

(क) आयात की केवल कोलकाता, चैन्नई, मुम्बई, दिल्ली तथा हैदराबाद के पत्तनों/हवाई अड्डों अथवा विभाग द्वारा अधिसूचित अन्य स्थानों के जरिए अनुमति होगी, जहां पर पशु संगरोध जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) भारत में पहुंचने पर,

(i) सामान तथा दस्तावेजों की क्षेत्रीय अधिकारी/संगरोध अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी;

(ii) जांच के लिए आयातित वस्तु से नमूना लिया जाएगा;

(iii) यदि दस्तावेजों से आवश्यकताओं की पुष्टि नहीं होती है, तो आयात करने वाली एजेंसी की लागत पर पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा उचित कार्यवाई की जाएगी।

अनुसूची

I. आयात के लिए सामान्य सूचना

1. परेषक (नाम और पूरा पता)	2. स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सं. : दिनांक :
3. परेषिती (नाम और पूरा पता)	4. त्वचा/खाल की प्रजाति : गोपशु/भैंस/भेड़/बकरी/घोड़ा/ऊंट) 4.1 मूल देश ....
5. सक्षम प्राधिकरण 5.1 मंत्रालय : 5.2 विभाग :	6. लोड करने का स्थान
7. मात्रा (शब्दों और अंकों में) 7.1 पैकेजों की संख्या 7.2 चिन्हों की पहचान 7.3 शुद्ध भार	8. ढुलाई का माध्यम :